

Enaid- 13.09.2021

12-34 PM

कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail: nodaloffice@ddn@gmail.com

Phone/Fax: 0135-2767611

संख्या:- 712 / FP/UK/ROAD/14349/2021 देहरादून:दिनांक 10 सितम्बर, 2021

सेवा में,

श्री एन0एन0 पाण्डे,
वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, पौड़ी।

विषय:- जनपद-पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र लैन्साडौन के विकासखण्ड नैनीडांडा के अन्तर्गत खण्डोलिया
खेत से कौला-पुलटण्डा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.45 हे0 वन भूमि का गैर वाणिज्यी कार्य हेतु
लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ:-आपका पत्रांक 675/12-1 दिनांक 02-09-2021

उक्त विषयक प्रस्ताव दिनांक 02-09-2021 को ऑनलाईन प्राप्त हुआ। प्रस्तावक विभाग द्वारा दिनांक
8-09-2021 को प्रेषित प्रस्ताव की हार्ड प्रति तीन प्रतियों में इस कार्यालय को प्राप्त हुई है। हार्ड प्रति के गहन
अवलोकन करने के पश्चात् निम्न प्रकार प्रस्ताव में अपूर्णता दृष्टिगत हो रही है, जिसका निराकरण किया जाना
तत्काल आवश्यक है।

1. प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्र 15.1 में लैन्ड शैड्यूल में कुल सिविल भूमि 0.45 दर्शायी गयी है, जबकि प्रपत्र-16
परियोजना की लम्बाई एवं चौड़ाई के प्रपत्र में वन पंचायत भूमि 0.36 हे0 दर्शायी गयी है। कृपया वन पंचायत
भूमि को लैन्ड शैड्यूल में दर्शाते हुये संलग्न करें।
2. प्रस्ताव में वन अधिकार अधिनियम, 2006 से सम्बन्धित प्रारूप 30.1 में दिनांक एवं स्थान अंकित नहीं किया
गया है। कृपया प्रपत्र में दिनांक एवं स्थान अंकित करना सुनिश्चित करें।
3. प्रस्ताव में संलग्न रिक्त पड़े स्थानों के आस-पास 10 वर्षीय वृक्षारोपण योजना वर्तमान दरों के अनुसार
आंकलित कर संलग्न नहीं की गयी है। कृपया वर्तमान दरों के अनुसार वृक्षारोपण योजना प्रस्ताव में संलग्न
करें।
4. मलवा निस्तारण योजना हेतु प्रस्तावित नाप भूमि के भूमिधरों के भू-स्वामित्व का राजस्व उप निरीक्षक द्वारा
निर्गत प्रमाण-पत्र भी प्रस्ताव में संलग्न करें।

अतः उपरोक्त कमियों का निराकरण करने हेतु अपने स्तर से सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी/प्रस्तावक
विभाग को निर्देशित करने का कष्ट करें कि प्रस्ताव में इंगित कमियों का पूर्ण निराकरण करने के पश्चात् प्रस्ताव
इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

(डा० कपिल जोशी)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून।

संख्या:- 712 / FP/UK/ROAD/14349/2021 दिनांकित।

1. प्रतिलिपि :- प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रस्ताव में
इंगित कमियों का प्रस्तावक विभाग से पूर्ण निराकरण/समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करवाकर प्रस्ताव इस
कार्यालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।
2. प्रतिलिपि :- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, लैन्साडौन को इस आशय से प्रेषित कि प्रस्ताव
में इंगित कमियों का पूर्ण निराकरण करने हेतु प्रस्ताव की प्रतियां इस कार्यालय से वापस प्राप्ता कर लें एवं
सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी/वन संरक्षक के माध्यम से प्रस्ताव इस कार्यालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराना
सुनिश्चित करें, ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

(डा० कपिल जोशी)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून।

कार्यालय वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।

पत्रांक 725 / 12-1 पौड़ी, दिनांक, सितम्बर 13 2021

प्रतिलिपि:- प्रभागीय वनाधिकारी गढ़वाल वन प्रभाग को इस आशय से प्रेषित कि उक्त प्रस्ताव में इंगित
कमियों का निराकरण कर प्रस्ताव इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

निर्माण अधिकारी

मुख्य अभिलेखी
कार्यालय वन संरक्षक
उत्तराखण्ड पौड़ी

(एन0एन0पाण्डेय)

वन संरक्षक,

गढ़वाल वन उत्तराखण्ड पौड़ी।